

पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम झालरा स्थित खसरा नंबर 661/1292 रकबा 1.50 हैक्टे. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना